



UPMZ050007892023

न्यायालय **CIVIL JUDGE (S.D.), Muzaffarnagar**

पीठासीन अधिकारी- (SRI RAGHUVANSH MANI SINGH), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP01996

Original Suit/576/2023

Mohd. Umar

Vs

Islam etc.

दिनांक—18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। वादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

पत्रावली पुनः 2.20 पी०एम० बजे पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली कई तिथियों से वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थनापत्र 22ग हेतु नियत चल रही है। विगत अनेकों तिथियों से वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है, न ही वादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अपना वाद चलाने में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद सं० 576 सन 2023 वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(रघुवंश मणि सिंह)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
मुजफ्फरनगर।